कार्यालय अध्यक्ष अंतराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोउत्सव समिति एवं उपायुक्त शिमला

SML-NZ-I(S.S.F.)/2019- 1237 Dated:- 27-05-2019

बोली आमंत्रण हेतू सूचना

सभी इच्छुक व्यक्तियों/व्यवसायियों/व्यापारिक उद्योगो/संस्थानों को अंतराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोंउत्सव–2019 के दौरान स्थान आइिस स्केटिंग रिंक शिमला में झूलों को लगाने/चलाने हेतू बोलियां आमंत्रित की जाती है। बोली का स्थानः रोसना हॉल, उपायुक्त कार्यालय, शिमला, तिथि व समय 31/05/2019 सांय 3:00 बजे रहेगी।

अनिवार्य शर्तेः–

1. क्षेत्रफल जो आंबटित किया जाएगा वह 120x60 (7200 स्के0 फीट) होगा व अवधि 03/06/2019 से 20/06/2019 रहेगी।
2. अनुबंध समय के बाद उच्चतम बोलीदाता/सफल बोली दाता उक्त स्थान को जैसा है वैसी स्थिति में वापिस लौटाएगा व जिस कार्य के लिए स्थान आबंटित किया गया है उसके अलावा किसी और गतिविधि के लिए स्थान का प्रयोग नहीं करेगा।
3. सफल बोली दाता पर्यावरण के हितों का विशेष ध्यान रखेगा विशेषकर ध्वनि प्रदूषण का।
4. बोली दाता को बोली लगाने से पहले अध्यक्ष अंतराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मउत्सव समिति एवं उपायुक्त शिमला के नाम मु0 10,000/– के डिमांड डाफट/बैकर चैक दिनांक 31/05/2019 समय सांय 2:30 बजे से पहले जमा करवाना अनिवार्य है।
5. सफल बोली दाता संबंधित विभागों से अनापति प्रमाण पत्र स्वयं लेगा।
6. सफल बोली दाता भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न सुरक्षा मानकों व नियमों का उचित पालन करेगा व झूलों के संचालन के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. सफल बोली दाता जिला प्रशासन की तरफ से सहायक आयुक्त के साथ लिखित में अनुबंध अवधि के लिए अनुबंध करेगा।
8. अध्यक्ष के पास बोली/बोलियों एवं/व पूरी बोली आमंत्रण हेतू प्रकिया को स्वीकार/ अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रहेगा व उनका निर्णय अंतिम रहेगा।
9. सफल बोली दाता भारत व हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न करों, शुल्क की अदायगी के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।
10. सफल बोली दाता अपने या अपनी उधोग/व्यवसाय के पिछले 2 साल के आयकर रिर्टन 01/06/2019 4:00 बजे तक जमा करवाएगा।
11. सभी विवादों का निष्पादन केवल जिला न्यायालय शिमला के क्षेत्राधिकार के अधीन ही होगा।

Copy to DIO Shimla for uploading on website of DC Shimla.

उपायुक्त शिमला
जिला शिमला।